



Office of the District Basic Education Officer
JAUNPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **NAVODAYA VIDYA MANDIR, RAMIPUR TIYARA MEDHA JAUNPUR** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number allotted to NAVODAYA VIDYA MANDIR is **JAU0964509763**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

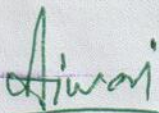
2. DATE OF ISSUE	Valid From:24-06-2022To:24-06-2023(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Primary School(1 to 5)
5.Recognition No.	JAU0964509763

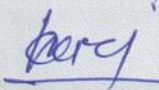
DATE:- 24-06-2022

PLACE:- JAUNPUR

District Basic Education Officer

Digitally signed by GORAKHNATH PATEL
Date: 2022.06.24 17:28:52
Reason: For Digital Signature
Location: JAUNPUR


Principal
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur


Manager
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur


District Basic Education Officer
Jaunpur

Note: This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal: www.premup.in

प्रपत्र

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जाँपुर।

सेवा में,

MANAGER

NAVODAYA VIDYA MANDIR RAMIPUR
TIYARA MEDHA BADALAPUR

पत्रांक/मान्यता/ 3135-39

/2022-23

दिनांक : 27-6-2022

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन आनलाईन प्राइमरी स्तर हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये अस्थाई/स्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक- 29 जून 2020 एवं आनलाईन मान्यता संबंधित शासनादेश संख्या-64/अडसठ-3-2021-840 दिनांक-11 फरवरी 2021 अनुक्रम में गठित समिति के निर्णय दिनांक-22.06.2022 के अनुक्रम में जॉच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविद्यानो के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए MANAGER NAVODAYA VIDYA MANDIR RAMIPUR TIYARA MEDHA BADALAPUR को तारीख 24-6-22 से तारीख 24-6-23 तक कक्षा 01 कक्षा 05 तक के आनलाईन (अंग्रेजी माध्यम) से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है।

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-05 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यक्षीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यक्षीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

Handwritten signature

Principal

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे। अध्यापकों/शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता सही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक)सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निर्दिष्ट है।

Manager

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha Jaunpur



**Office of the District Basic Education Officer
JAUNPUR**

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that NAVODAYA VIDYA MANDIR, RAMIPUR TIYARA MEDHA JAUNPUR is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number allotted to NAVODAYA VIDYA MANDIR is JAU0964569768.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:17-12-2022To:17-12-2023(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4.School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No.

JAU0964569768

DATE:- 17-12-2022

District Basic Education Officer

PLACE:- JAUNPUR

Hiwari
Principal

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

daraj
Manager
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

नवोदय विद्या मन्दिर

तियरा मेंढा (बदलापुर)-जौनपुर।

पत्रांक: /मान्यता/ 12514-18

/2022-2023 दिनांक: 15-12-22

विषय : नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन आनलाईन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

उ0प्र0 शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक-11 जनवरी 2019 व शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक- 29 जून 2020 एवं आनलाईन मान्यता सम्बन्धित शासनादेश संख्या-84/अडसठ-3-2021-840/दिनांक-11 फरवरी 2021 द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक-13-12-2022 के अनुक्रम में जॉच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रबन्धक नवोदय विद्या मन्दिर तियरा मेंढा (बदलापुर)-जौनपुर को तारीख- 15-12-2022 से तारीख -15-12-2023 तक कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के आनलाईन (अंग्रेजी माध्यम) से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पश्चात् मान्यता/संबन्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-06 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (vi) अध्यापक की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है।
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यधर्मा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा

Manager

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।
 - 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
 - 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
 - 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 - 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
 - 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
 - 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक X है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 - 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
 - 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
 - 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 - 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर से कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
- अतः आपको मान्यता प्रमाण पत्र आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। तथा उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पू०सं०/मान्यता/ /2022-2023 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।

2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।

3-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है, और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

4- कार्यालय प्रति।

Anwar

Principal

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

Manager

Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 - 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
 - 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
 - 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
 - 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 - 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
 - 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
 - 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक X है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 - 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
 - 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
 - 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 - 18- मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर से कूट रचित अथवा त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
- अतः आपको मान्यता प्रमाण पत्र आनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है। तथा उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्नकर प्रेषित है।
- संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।

पृ०सं०: /मान्यता/

/2021-2022 उसी तिथि को।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनः निरीक्षण कर लें और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन, नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है, और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो ले कि विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति।

Principal
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

Manager
Navoday Vidya Mandir
Ramipur Medha, Jaunpur

डॉ०(गोरख नाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर।